an>

Title: Regarding demand for ban on interview of a rapist in Nirbhaya case.

श्री जगदम्बिका पाल **(डुमरियागंज):** उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया है।

देश के उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस जब होता है, तभी किसी अभियुक्त को फांसी की सजा मिलती है और आज इस घटना को लेकर जिस तरीके से पूरे देश में इसकी प्रतिक्रिया हो रही है, जिस तरह से पूरे देश में लोग मर्माहत हैं, इस मामले में केन्द्रीय गृह मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि हम निश्चित तौर पर उसकी जांच करेंगे कि एक रेपिस्ट को किस तरह से इजाजत दी गई कि जो मृत्युदंड की सजा पाये अपराधी हों, उनका इंटरव्यू हो। लेकिन उससे ज्यादा गम्भीर बात यह है कि जिस कंडीशन पर अगर लैसली उडविन, जो बी.बी.सी. की संवाददाता हैं, अगर उन्हें इजाजत मिली है, अगर उन्होंने उस कंडीशन का वॉयलेशन किया है तो उन शर्तों के उल्लंघन के बाद आज निश्चित तौर पर भारत में इंफॉर्मेशन एंड ब्रोडकास्टिंग मिनिस्ट्री या हमारी सरकार ने कहा है कि जो निर्भया कांड के दोषी हैं, उनके इंटरव्यू के प्रसारण पर रोक लग जायेगी। लेकिन कम से कम वर्ल्ड ब्रोडकास्टिंग फोरम पर इस मामले को उठाना जरूरी है। इसे लेकर आज हमारी तमाम महिला माननीय सदस्या हों या पुरुष हो, हम सारे लोग पीड़ित हैं तो निश्चित तौर से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार इसे वर्ल्ड ब्रोडकास्टिंग फोरम पर भी इस मामले को जरूर उठाये कि क्या उस कंडीशन का वॉयलेशन हुआ है और भारत के बाहर भी उसकी ब्रोडकास्टिंग पर रोक लगनी चाहिए।

HON. DEPUTY SPEAKER: This matter was already raised and the hon. Home Minister had also replied.